

न्यायालय:- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना

जिला डीडवाना-कुचामन

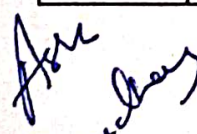
बउनवान-मोहम्मद आरिफ बनाम जाकिर हुसैन व अन्य

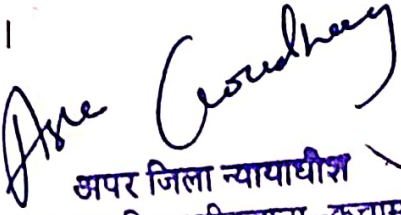
किस्म- दीवानी मूल नंबर-28/17 क.न.-90/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25-09-25	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी द्वारा आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संबंध में बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण साक्ष्य वादी की स्टेज पर नियत है। प्रकरण में वादी की ओर से दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं जिनमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.02.2025 के निर्णय की प्रमाणित प्रति, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 23.01.2025 की प्रमाणित प्रति, एमजेएम न्यायालय मकराना की दिनांक 03.03.89 से 18.03.89 तक की आदेशिका की प्रमाणित प्रति, एमजेएम न्यायालय मकराना का वाद बउनवान अल्लानूर बनाम रुकैया दिनांक 02.03.83 की प्रमाणित प्रति, अल्लानूर बनाम रुकैया का वाद दिनांक 18.03.89 की प्रमाणित प्रति, एमजेएम मकराना की दिनांक 18.03.89 की आदेशिका की प्रमाणित प्रति, अल्लानूर बनाम रुकैया वाद में आवेदन पत्र 32 नियम 7 सीपीसी दिनांक 16.03.89 मय शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति, एमजेएम मकराना में अल्लानूर बनाम रुकैया वाद का डिक्री पर्चा दिनांक 18.03.89 की प्रमाणित प्रति, असल पहचान पत्र आर.एफ.ई/0838680, असल आधार कार्ड मो आरिफ है। उक्त सभी दस्तावेजात वाद से संबंधित दस्तावेजात है जो वाद के न्याय व निर्णय के लिए आवश्यक दस्तोवजात है अतः उक्त दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लेने के आदेश फरमावें। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादीगण	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ने मौखिक रूप से आपत्ति होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि वादी अधिवक्ता ने आदेश 7 नियम 14(3) सपटित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में दौराने वहस तर्क दिया एवं पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पेश दस्तावेजात-माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.02.2025 का निर्णय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 23.01.2025, एमजेएम न्यायालय मकराना की दिनांक 03.03.89 से 18.03.89 तक की आदेशिका, एमजेएम न्यायालय मकराना का वाद बउनवान अल्लानूर बनाम रुकैया दिनांक 02.03.83, अल्लानूर बनाम रुकैया का वाद दिनांक 18.03.89, एमजेएम मकराना की दिनांक 18.03.89 की आदेशिका, अल्लानूर बनाम रुकैया वाद में आवेदन पत्र 32 नियम 7 सीपीसी दिनांक 16.03.89 मय शपथ पत्र, एमजेएम मकराना में अल्लानूर बनाम रुकैया वाद का डिक्री पर्चा दिनांक 18.03.89 की प्रमाणित प्रतियां हैं और पहचान पत्र आर.एफ.ई/0838680, आधार कार्ड मो आरिफ असल है। उक्त दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण में वर्णित तथ्यों से संबंधित होना प्रथम दृष्टया प्रकट है चूंकि हस्तगत प्रकरण सन् 2017 से लंबित होकर 08 वर्ष पुराना प्रकरण है जिसके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से शीघ्र निस्तारण के निर्देश है। चूंकि अधिवक्ता वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र देरीना पेश करने का कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात-माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.02.2025 का निर्णय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 23.01.2025, एमजेएम न्यायालय मकराना की दिनांक 03.03.89 से 18.03.89 तक की	


 जज जिला न्यायाधीश
 मकराना, शिवा डीडयाना-राजस्थान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	आदेशिका, एमजेएम न्यायालय मकराना का वाद बउनवान अल्लानूर बनाम रुकैया दिनांक 02.03.83, अल्लानूर बनाम रुकैया का वाद दिनांक 18.03. 89, एमजेएम मकराना की दिनांक 18.03.89 की आदेशिका, अल्लानूर बनाम रुकैया वाद में आवेदन पत्र 32 नियम 7 सीपीसी दिनांक 16.03.89 मय शपथ पत्र, एमजेएम मकराना में अल्लानूर बनाम रुकैया वाद का डिकी पर्चा दिनांक 18.03.89 की प्रमाणित प्रतियों एवं पहचान पत्र आर.एफ.ई/0838680, आधार कार्ड मो. आरिफ असल को 3000/—रुपए हर्जे पर रिकॉर्ड पर लिये जाते है। पत्रावली वारते साक्ष्य वादी 04.10.2025 दिनांक को पेश हो।  अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	